

बिहार सरकार  
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग  
कार्यालय आदेश

पटना, दिनांक 27/07/2018

संख्या 26/न० 1-04/2000 खंड 8.7/ वित्त विभाग के संकल्प सं० 137 दिनांक 08.01.2018 द्वारा माननीय मंत्री (श्री कृष्ण कुमार ऋषि) कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के साथ कार्यरत श्री मुरारी प्रसाद सिंह पिता-स्व० गुरुशरन प्रसाद सिंह भंवर पोखर, पोस्ट बांकीपुर थाना-पिरबहोर, जिला पटना वाह्य व्यक्ति को वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3590 दिनांक 24.05.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से निम्नवर्गीय लिपिक को PB-1+ ग्रेड वेतन 1900 नियत वेतन 7730/- लेवल-2-19900 (उन्नीस हजार नौ सौ ) पुनरिक्षित वेतन संरचना में/वेतन स्तर में नियत वेतन पर एवं अन्य भत्तों के साथ वेतन भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- 2 पुनरिक्षित वेतन स्तर में नियत वेतन का व्याचारिक लाभ दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से तथा आर्थिक लाभ दिनांक 01.04.2017 के प्रभाव में अनुमान्य होगा।
- 3 इन वाह्य व्यक्तियों से सेवा अवधि में नियत वेतन पर समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता देय होगा।
4. उक्त निम्न वर्गीय लिपिक (वाह्य व्यक्ति) का वेतनादि का भुगतान मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग पटना द्वारा शीर्ष-2013 मंत्रीपरिषद के अन्तर्गत किया जायेगा।
5. प्रस्ताव पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलहकार एवं विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(मीना कुमारी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक...../

पटना, दिनांक...../2018

प्रतिलिपि- महालेखाकार बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यर्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकारके उप सचिव।

ज्ञापांक...../

पटना, दिनांक...../2018

कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यर्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 923.../

पटना, दिनांक 27/07/2018

प्रधान सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव 2 (दो प्रतिया) में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार, पटना।/ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/उप सचिव (स्थापना)/अवर सचिव/आई.टी. मैनेजर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/श्री मुरारी प्रसाद सिंह पिता-स्व० गुरुशरन प्रसाद सिंह भंवर पोखर, पोस्ट बांकीपुर थाना-पिरबहोर, जिला पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यर्थ प्रेषित।

27/7/18  
सरकार के उप सचिव।